न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 19/2025 G.C.M.S. No. 2025/66 दर्ज दिनांक : 19.02.2025

अपीलार्थिगण:

1. देवू पुत्री भला
2. मफी पुत्री भला, तमाम जातियान् रेबारी, निवासी पहाड़पुरा, तहसील सांचौर, जिला जालोर

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. जोरा पुत्र भला (फौत) के वारिश
   1/1 रमकु पत्नी जोराराम, जाति रेबारी, निवासी पहाडपुरा तहसील सांचौर, जिला जालोर
   1/2 अणसी पुत्री जोराराम, पत्नि मुंगाराम पुत्र तेजाजी, जाति रेबारी, निवासी कारोल, तहसील सांचौर, जिला जालोर
   1/3. नेमाराम पुत्री जोराराम, जाति रेबारी, निवासी पहाडपुरा, तहसील सांचौर, जिला जालोर
   1/4 पवन पुत्री जोराराम पत्नि सतराराम पुत्र सुजानाजी जाति रेबारी, निवासी सरनाऊ, तहसील सांचौर, जिला जालोर
   1/5 बाबु पुत्र जोराराम तमाम जाति रेबारी, निवासी पहाडपुरा, तहसील सांचौर, जिला जालोर (राज.)
2. गणेशा पुत्र भला
3. हरचंद पुत्र मला
4. बालका पुत्र भला
5. उमा पुत्र भला
6. कृष्ण उर्फ कृष्णा पुत्र भला
7. वसु पुत्री भला, तमाम जातियान् रेबारी, निवासीगण पहाडपुरा, तहसील सांचौर, जिला जालोर
8. राजस्थान राज्य जरिये, भूमिधारी तहसीलदार सांचौर, जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सांचौर द्वारा राजस्व वाद संख्या 26/2020 बअनवान वसु बनाम जोरा वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.07.2024 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार:–

1. श्री फरमान अली, श्री हेमन्तजीत सियाग अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री तारीफ अली, जयन्तिलाल विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय दिनांक: 28.01.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सांचौर द्वारा राजस्व वाद संख्या 26/2020 बअनवान वसु बनाम जोरा वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.07.2024 प्रस्तुत की हैं। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

वादीगण के द्वारा माननीय विद्वान विचारण के न्यायालय के समक्ष मौजा पहाडपुरा के खेत खसरा नंबर 148, 149, 570, 572, 573, 574, 575, 576, 665, 666, 667, 667/743 में खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगाय 6 मृतक भला पुत्र उका के कानूनी वारिशान हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण हिन्दू हैं तथा संयुक्त हिन्दु परिवार में निवास करते है। वादीगण व प्रतिवादी की शामलाती खातेदारी आराजी गांव पहाडपुरा, तहसील सांचौर में आयी हुई हैं। उका के दो पुत्र वीरमा व भला थे। उक्त भूमि वीरमा का 1/2 व भला का 1/2 का हक हिस्सा है। भला के फौत हो जाने के बाद हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार उक्त संपत्ति के 1/2 हक हिस्से में प्रतिवादी नं. 1 लगाय 6 के साथ वादीगण का भी नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करना जरूरी था लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 लगाय 6 ने राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से साठगाठ कर वादीगण का नाम उक्त भूमि में भला के कानूनी वारिशान वादीगण जीवित होने के बावजूद भी दर्ज नहीं किया जबकि उक्त सम्पत्ति भला के फौत होने पर उसके जायज सभी कानूनी वारिशानों के नाम राजस्व रेकर्ड मे में दर्ज किया जाना आवश्यक था। वादीगण की उक्त भूमि पुश्तैनी होने से अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी होने से दावा बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का माननीय विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया लेकिन माननीय विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा के कथनों में अभिस्वीकृति हैं उस पर गौर न कर प्रतिवादी नं. 2 के द्वारा गलत आधारों पर प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के आधार पर वादीगण का वाद खारिज कर दिया। वादी नं. 4 सिणगारी बेवा भला का वाद के निर्णय के पश्चात् देहान्त होने व उसके वारिशान रेकर्ड पर होने से उसका नाम अपील में वर्णित नहीं किया गया हैं तथा रेस्पोडेंट नं. 7 विचारण न्यायालय में वादी नं. 1 थी लेकिन अपील में साथ नहीं आने से उन्हें बतौर रेस्पोडेट नं. 7 संयोजित किया गया है तथा वाद के निर्णय के पश्चात् प्रतिवादी/रेस्पोडेंट नं. 1 का भी देहान्त हो गया हैं जिसके वारिशान को बतौर रेस्पोडेंट पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का निर्णय करने के लिये केवल वाद को ही देखा जाना होता हैं प्रतिवादी की आपत्तियों को आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत देखा जाना न्यायसंगत नहीं हैं। अपीलांटस, सिणगारी बेवा मला जिसका निर्णय के पश्चात् देहान्त हो चुका है व रेस्पोडेंट नं. 7 ने पुश्तैनी आराजी में पिता भला के 1/2 हिस्से की आराजी में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद पेश किया है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार अपीलांटस भला के वारिश होने के

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

खुशतैनी आराजी में हकूक व अधिकार बनता है। अपीलांटस ने अपने ही परिवार के सदस्यों के विरुद्ध घोषणा चाही हैं। जोगा पुत्र वीरमा, नावीदेवी पत्नि मोडा, रमेशकुमार पुत्र मोडाराम के विरूद्ध घोषणा नहीं चाही है तथा अपीलांटस ने जिस खसरा नंबर की आराजी में रिलीफ चाही है उसमें वादी के हकूकों तक ही न्यायिक निर्णय करना है। जो कि बैंक के यहां गिरवी नहीं हैं। जिससे बैंक आवश्यक पक्षकार नहीं है तथापि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी. पी.सी. के निर्णय में कुसंयोजन के आधार पर प्रार्थना पत्र कानूनन स्वीकार नहीं किया जा सकता हैं तथापि दावे के दौरान भी पक्षकार बनाया जा सकता है। हालांकि वाद के तथ्यों के अनुसार बैंक आवश्यक पक्षकार नहीं हैं। विचारण न्यायालय को कुसंयोजन को लेकर तनकी मुर्तिब कर ही निर्णित किया जाना चाहिये था क्योकि यह तथ्यों से संबंधित हैं जिससे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त करने योग्य हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त फरमावे।

म्याद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में अपीलांट वादीगण द्वारा रेस्पोडेन्ट प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकारो की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.07.2024 को निर्णित कर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील को विलंब के साथ प्रस्तुत की गई। अपीलांट्स द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांटस अनपढ महिलाएं जिन्होंने अपना अधिवक्ता नियुक्त कर रखा था जिन्होंने अपीलांटस को कह रखा था कि आपके मुकदमें में जरूरत होगी तब आपको सूचित कर दिया जायेगा अपीलांटस उसी विश्वास में रही तथा दो–तीन बार न्यायालय परिसर सांचौर गयी लेकिन वादी अधिवक्ता नहीं मिले। दिनाक 14.01.2025 न्यायालय परिसर सांचौर में जाकर अधिवक्ता के बारे में पुछताछ की तो जानकारी हुई किवादी अधिवक्ता जी.बी.एस.बीमारी से ग्रसित हैं तथा लंबे समय से न्यायालय में नहीं आ रहे हैं तब अपीलांट ने न्यायालय में प्रस्तुत वाद की जानकारी हासिल की तब जानकारी हुई कि वाद का निर्णय दिनांक 08.07.2024 हो चुका है लेकिन वादी/अपीलांट वकिल जी बी एस की गंभीर बीमारी से ग्रसित होने से सूचना नहीं दे पाये तब उसी दिन दिनांक 14.01.2025 नकल हेतु आवेदन किया जो नकल दिनांक 18.01.2025 को प्राप्त हुई तब वाद के डिक्री व निर्णय की पूर्ण जानकारी हुई। अपीलांटस औरत जात है अपील खर्च की राशि इकटठी कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी है जानकारी व नकल प्राप्ति की तारीख से अपील अन्दर म्याद पेश है अतः विलंबकाल सद्भाविक होने से माफ किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार फरमाई जावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी

2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है एवं प्रकरण में अपीलांट की लापरवाही व उदासीनता से विलंब कारित नहीं होकर विलंब सद्भाविक व युक्तियुक्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील में विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट वादी द्वारा रेस्पोंडेंट के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रतिवादी रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार करते हुए वादपत्र अपीलाधीन आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की हैं।

4. अपीलांट द्वारा मुख्य रूप से यह उज्र लिया गया है कि अपीलांटस ने अपने ही परिवार के सदस्यों के विरुद्ध घोषणा चाही हैं। जोगा पुत्र वीरमा, नावीदेवी पत्नि मोडा, रमेशकुमार पुत्र मोडाराम के विरूद्ध घोषणा नहीं चाही है तथा अपीलांटस ने जिस खसरा नंबर की आराजी में रिलीफ चाही है उसमें वादी के हकूकों तक ही न्यायिक निर्णय करना है। जो कि बैंक के यहां गिरवी नहीं हैं। जिससे बैंक आवश्यक पक्षकार नहीं है तथापि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी. पी.सी. के निर्णय में कुसंयोजन के आधार पर प्रार्थना पत्र कानूनन स्वीकार नहीं किया जा सकता है तथापि दावे के दौरान भी पक्षकार बनाया जा सकता है। हालांकि वाद के तथ्यों के अनुसार बैंक आवश्यक पक्षकार नहीं हैं। विचारण न्यायालय को कुसंयोजन को लेकर तनकी मुर्तिब कर ही निर्णित किया जाना चाहिये था क्योकि यह तथ्यों से संबंधित हैं जिससे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त करने योग्य हैं। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमावें।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट वादी किस्तुरा द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष में प्रस्तुत किया। वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादपत्र के पैरा संख्या 6 में वादकारण अंकित है तथा वादपत्र समुचित कोर्ट फीस व स्टांप के साथ पेश किया गया है।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी के अंतर्गत वादपत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि प्रकरण में बैंको का हित निहित होने व बैंको की अनुपस्थिति में कोई प्रभाववपूर्ण डिक्री पारित करना संभव नहीं होने से वादपत्र विधि से वर्जित है, का अंकन करते हुए वादपत्र खारिज कर दिया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

7. आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्रों के संबंध में केवल वादपत्र एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन मात्र ही अपेक्षित होता है तथा वादपत्र के अवलोकन मात्र से यदि वादपत्र समुचित कोर्ट फीस पर पेश नहीं हुआ है या वादपत्र में वादकारण अंकित/प्रकट नहीं हों या वादपत्र अवलोकन मात्र से वादपत्र में वांछित अनुतोष विधि से वर्जित हों, के संबंध में ही निर्णित किया जाना अपेक्षित होता है। इस संबंध में दस्तावेजात या साक्ष्य से संबंधित कोई उज्र नहीं लिया जा सकता एवं न ही न्यायालय इस संबंध में ऐसे दस्तावेजात या साक्ष्य को आधार बनाकर निर्णय कर सकता है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में यह स्पष्ट नहीं किया है कि वादपत्र किस प्रकार से तथा किस सीमा तक किस विशिष्ट विधि से वर्जित है। वादपत्र में पक्षकारान के कुसंयोजन या असंयोजन के आधार पर वादपत्र खारिज नहीं किया जा सकता। क्योंकि इस संबंध में व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधान महज प्रक्रियात्मक विधि है न कि तात्विक विधि तथा वादपत्र का निर्णयन प्रक्रियात्मक विधि के आधार पर नहीं कर तात्विक विधि के आधार पर किया जाना अपेक्षित होता है। साथ ही यदि वादपत्र में आवश्यक पक्षकारान के असंयोजन या अनावश्यक पक्षकारान के संयोजन से कुसंयोजन की स्थिति न्यायालय के संज्ञान में लाई जाती हैं या आती हैं तो ऐसी स्थिति में इस आधार पर वादपत्र खारिज करने के बजाय वादी को पक्षकारान के सुसंयोजन/वियोजन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। जो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं कर अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादपत्र खारिज कर कानूनन भूल की हैं।

8. यह भी उल्लेखनीय है कि वादपत्र विभाजन से संबंधित नहीं होकर खातेदारी अधिकारों की घोषणा से संबंधित है। जो वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के विरूद्ध व वादीगण के पक्ष में खातेदारी अधिकारों की घोषणा से संबंधित है। जोकि पूर्व से पक्षकार है। ऐसी स्थिति में वादीगण को अन्य व्यक्तियों को महज इस आधार पर कि वे वादग्रस्त आराजीयात में सहखातेदार है, पक्षकार संयोजित करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जब तक कि वादपत्र में बंटवाड़ें से संबंधित अनुतोष नहीं चाहा गया हों। अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दूषित होने से पुष्टियोग्य नहीं हैं।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिनुरूप नहीं होकर त्रुटिपूर्ण होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय अपास्त करते हुए प्रकरण विधिनुरूप निर्णयन के लिए अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर सहायक कलक्टर सांचौर द्वारा राजस्व वाद संख्या 26/2020 बअनवान वसु बनाम जोरा वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.07.2024 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में संगत

राजस्व अपील प्राधिकारी

विधिक प्रावधानों व प्रक्रियाओं का अनुशीलन करते हुए उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण विधिनुरूप निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये पैरोकार पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 09.03.2026 को न्यायालय सहायक कलक्टर सांचौर में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली